



असंशोधित

बिहार विधान—सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

21 मार्च, 2025



बिहार विधान सभा सचिवालय,

पटना ।

सप्तदश विधान सभा
चतुर्दश सत्र

शुक्रवार, तिथि 21 मार्च, 2025 ई.
30 फाल्गुन, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय — 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल होने दीजिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष : शून्यकाल में उठाइयेगा कोई बात कहनी है तो ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है । यह राष्ट्रगान को लेकर के है और कल आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरे देश की जनता ने देखा है । हम माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत तौर पर पूरा सम्मान करते हैं लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान महोदय ।

अध्यक्ष : शून्यकाल में उठाइयेगा । बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बात रखने दीजिये.

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिये, शून्यकाल में उठाइयेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : बात रखने दीजिये अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : बात रख दिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री पवन कुमार जायसवाल ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, पहली बात तो अगर कार्यस्थगन की सूचना है तो कार्यस्थगन की सूचना पढ़ने का भी समय निर्धारित है वह समय पर होना चाहिए और...

अध्यक्ष : वही ना । वही मैंने कहा ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, दूसरी बात कि राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है यह बिहार की जनता जानती है । जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है...

(व्यवधान)

मुख्यमंत्री जी हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं । इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है ।

अध्यक्ष : पवन जी...

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : जब आपका कार्यस्थगन है, शून्यकाल में बोले हैं उसके लिए । शून्यकाल में उठाइयेगा न । बोल चुके आप ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं०-15 (श्री पवन कुमार जायसवाल, ढाका)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : (लिखित उत्तर) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 18,48,68,143.67 /— (अठारह करोड़ अड़तालीस लाख अड़सठ हजार एक सौ तैतालीस रुपये सड़सठ पैसे) मात्र को राज्य आयुष समिति, बिहार द्वारा अब तक की गयी कार्रवाई निम्नवत् है :—

आवंटित राशि से 12,09,22,200 /— (बारह करोड़ नौ लाख बाईस हजार दो सौ) रुपये मात्र 38 जिलों में जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न मर्दों यथा बुनियादी ढाँचे, आई0टी0 नेटवर्किंग, हर्बल गार्डन, दवा आदि मर्दों में कार्य करने के लिए उपलब्ध करायी गयी है ।

राज्य आयुष समिति, बिहार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 44,17,198 /— (चौवालीस लाख सतरह हजार एक सौ अड़ानबे) रुपये का होमियोपैथिक दवा क्रय कर विभिन्न आयुष संस्थानों को उपलब्ध कराया गया ।

राज्य आयुष समिति, बिहार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6,19,66,667 /— (छः करोड़ उन्नीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) रुपये आयुर्वेद एवं यूनानी दवाओं के क्रय हेतु निविदा की कार्रवाई अंतिम चरण में है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । बोलिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से प्रश्न है, जानना चाहते हैं कि स्टेट एनुअल प्लान कब तक बनकर भारत सरकार को चला जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, मैंने बताया है कि...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पोस्टर हटाइये । पोस्टर हटा लीजिये ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, जो स्टेट एनुअल प्लान बना है उसी के तहत यह 18,48,68,143.67 /— (अठारह करोड़ अड़तालीस लाख अड़सठ हजार एक सौ तैतालीस रुपये सड़सठ पैसे) की राशि आयी है और उस आवंटित राशि को किस तरीके से खर्च किया जायेगा...

(व्यवधान जारी)

उस संदर्भ में भी मैंने अपने जवाब में जानकारी दी है कि 38 जिलों को 12,09,22,200 /— (बारह करोड़ नौ लाख बाईस हजार दो सौ) रुपये दिये गये हैं और उसके अतिरिक्त...

(व्यवधान जारी)

राज्य आयुष समिति के माध्यम से यह किया गया है जिसमें 44,17,198 /—(चौवालीस लाख सतरह हजार एक सौ अठ्ठानबे) रुपये और राज्य आयुष समिति के माध्यम से बिहार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 6 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे तो इस प्रकार से राशि...

(व्यवधान जारी)

कैसे खर्च की जायेगी जो एनुअल प्लान है उसकी पूरी जानकारी मैंने इस जवाब में दी है महोदय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : शून्यकाल में उठाने का अवसर मिलेगा, शून्यकाल में बताइयेगा अपनी बात । बैठ जाइये । जब कार्यस्थगन का समय आयेगा तो उसमें अपनी बात रखियेगा । बैठ जाइये । अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं०—'क' 664 (श्री रणविजय साहू, मौरवा)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं०-1772 (श्री जनक सिंह, तरैया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री राजेश कुमार सिंह । पूरक पूछिये राजेश जी ।

तारांकित प्रश्न सं०-1773 (श्री राजेश कुमार सिंह, मोहिउद्दीननगर)

श्री विजय कुमार मंडल, मंत्री : (लिखित उत्तर) जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत मामले में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रभावी साहाय्य मानदर के अनुरूप गृह क्षति की अनुमान्य राशि का भुगतान सभी प्रभावित परिवारों को किया जा चुका है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो विधान सभा है वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कई मकान इस बार की जो बाढ़ आयी थी, बाढ़ की विभीषिका में राजपुर जौनापुर में...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । पूरक ।

श्री राजेश कुमार सिंह : 7 लोगों का घर टूट गया है जिसमें 4 लोगों का तो मुआवजा मिल गया लेकिन अभी 4 लोग और बाकी हैं जो आवेदन किये हुए हैं उसमें राजीव महतो...

(व्यवधान जारी)

अविनाश महतो, पूजा कुमारी और दिनेश पासवान के घर का मुआवजा आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिला है तो अध्यक्ष जी से आग्रह है कि मंत्री जी को कहें उसको दिलवा देने के लिए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ।

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बोलिये ।

(व्यवधान जारी)

3 लोगों का मुआवजा नहीं मिला है 4 लोगों का मिला है...

(व्यवधान जारी)

लगाइयेगा तब न सुनियेगा ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य का कहना है कि 4 लोगों का मिला है 3 लोगों का मुआवजा बाकी है इनका मुआवजा दिलाने का आग्रह अभी उन्होंने किया है ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार मंडल, मंत्री : महोदय,...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : नहीं करिये, यह काम नहीं करिये । गलत काम नहीं करिये । गलत काम नहीं करिये । गलत काम नहीं करिये ।

श्री विजय कुमार मंडल, मंत्री : महोदय, जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : गलत काम नहीं करिये । अपने स्थान पर जाइये । शून्यकाल में उठाइयेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार मंडल, मंत्री : प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि सामूहिक दुर्घटना में मृतक स्वर्गीय सतीश कुमार के आश्रित माता श्रीमती नीलम देवी को अनुदान की राशि 4 लाख रुपया भुगतान कर दिया गया है...

अध्यक्ष : तीन लोगों का बाकी है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसको दिखवा लीजियेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार मंडल, मंत्री : और दूसरा जो है, गया हुआ है...

अध्यक्ष : दिखवा लीजियेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार मंडल, मंत्री : जी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, यह किसी और सवाल का जवाब दे रहे हैं मंत्री जी...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : दिखवा लेंगे उसको ।

श्री राजेश कुमार सिंह : यह हमारे सवाल का जवाब नहीं है ।

अध्यक्ष : आपने आग्रह किया वे दिखवा लेंगे, कहा मैंने उनको ।

(व्यवधान जारी)

श्री राजेश कुमार सिंह : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं०-1774 (श्री अजीत कुमार सिंह, डुमरांव)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं०-1775 (श्री अजय कुमार सिंह, जमालपुर)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं०-1776 (श्री राजेश कुमार, कुटुम्बा)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं०—1777 (श्री शिव प्रकाश रंजन, अगिआवं)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं०—1778 (मो० अखतरूल ईमान, अमौर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : (लिखित उत्तर) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियां जिलांतर्गत बैसा प्रखंड के मघेल गांव में वर्तमान में सिंगल फेज केबल तार से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है । उक्त गांव में संभावित विद्युत भार वृद्धि को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति हेतु सिंगल फेज एल०टी० केबल तार को थ्री फेज एल०टी० केबल तार से बदलने का कार्य प्रगति पर है जिसे पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च, 2025 है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

मो० अखतरूल ईमान : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि मघेल गांव में अभी लगा दिया जायेगा लेकिन मघेल गांव में...

(व्यवधान जारी)

और भी कई टोले हैं, मंझौग है, बड़ा टोला है, रसूलगंज है वहां सब हालत जर्जर है और दूसरी बात कि हमारे मंत्री बुजुर्ग हैं हम उनका आदर करते हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि सदन में आश्वासन के बावजूद भी...

(व्यवधान जारी)

कार्य नहीं होता है । हमारे वहां...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये । पूरक ।

मो० अखतरूल ईमान : मैं कहता हूं बहराखाल में हमारे, मैं कह रहा हूं कि...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप लोग प्रश्नोत्तर काल नहीं चलाना चाहते हैं ?

(व्यवधान जारी)

मो० अखतरूल ईमान : महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूं कि...

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार इनके किसी भी प्रस्ताव, किसी भी बात का संज्ञान लेकर जवाब देने के लिए तैयार है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : लेकिन सिस्टम से आयेंगे तब न ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आपकी इजाजत से बात उठायें । सरकार अपना पक्ष रखेगी ।

अध्यक्ष : मैंने तो कहा है कि शून्यकाल में अपनी बात रखें ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इस तरह करने से क्या होता है ?

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाइये । शून्यकाल में जब बात उठायेंगे तो सरकार अपना पक्ष रखेगी । बैठिये अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

आप लोगों को बढ़िया से चलता हुआ विधान सभा पसंद नहीं आ रहा है, जनता के हितों के सवालों का जवाब नहीं चाहिए आपको, नहीं चाहिए ।

(व्यवधान जारी)

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-2 / मुकुल / 21.03.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा:-

भारतीय जनता पार्टी	— 59 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	— 57 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	— 33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	— 14 मिनट
सी0पी0आई0 (एम.एल.)	— 08 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	— 03 मिनट
सी0पी0आई0 (एम.)	— 02 मिनट
सी0पी0आई0	— 02 मिनट
ए0आई0एमआई0एम0	— 01 मिनट
निर्दलीय	— 01 मिनट

.....
कुल — 180 मिनट
.....

माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए

11101,64,97,000/— (ग्यारह हजार एक सौ एक करोड़ चौसठ लाख संतानवे हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।”

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अख्तरूल ईमान, श्री अजय कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार मिश्र, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम से ग्रामीण कार्य विभाग के संपूर्ण मांग पर प्रतीक कटौती प्रस्ताव एवं माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ शर्मा से अनुदान मांग के मद को मितव्ययिता के आधार पर घटाने के कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ये सभी व्यापक हैं इन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

सम्पूर्ण मांग पर प्राप्त प्रतीक कटौती प्रस्ताव में माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन का प्रस्ताव प्रथम है एवं अनुदान के मदों पर माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ का कटौती प्रस्ताव प्रथम है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-173 (6) के प्रथम परन्तुक के तहत मितव्ययिता के आधार पर दिये गये कटौती प्रस्ताव को अग्रता दी जाती है ।

अतः माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

नहीं करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ । अतः अब मूल प्रस्ताव पर ही विमर्श होगा ।

माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार गुप्ता ।

माननीय सदस्य, श्री आलोक रंजन ।

(व्यवधान जारी)

श्री आलोक रंजन : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के बजट के पक्ष में अपना वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री, अपने माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री, हमारे जनक

जी एवं खासकर के अपने क्षेत्र सहरसा की महान जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आज मुझे आपके बीच अपनी बातों को रखने का अवसर मिला है। महोदय, विपक्ष के लोग इतने महत्वपूर्ण विषय पर बिहार के विकास की चर्चा करना था लेकिन आज के इतने महत्वपूर्ण विषय पर...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपलोग अपने स्थान पर जाइये, वहां से अपनी बात कहने वाले लोगों का नाम दिया गया है। आप लोग अपनी-अपनी सीट पर बैठिए। वेल में कही गयी कोई भी बात सुनी नहीं जायेगी।

श्री आलोक रंजन : विपक्ष के लोग वेल में खड़े हैं। यह स्पष्ट बताता है महोदय, ये लोग विकास के प्रति कितना उदासीन हैं।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपलोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, यह ठीक बात नहीं है।

अब सभा की कार्यवाही 03.30 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-3/यानपति/21.03.2025

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ की जाती है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान)

श्री छोटेलाल राय जी अपने विचार रखें ।

(माननीय सदस्य द्वारा विचार नहीं रखा गया)

श्री अशोक कुमार चौधरी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

मो० अनजार नईमी ।

(माननीय सदस्य विचार नहीं रखा गया)

श्री विजय कुमार खेमका ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और आसन का और पूर्णिया विधान सभा की जनता के साथ...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ग्रामीण कार्य विभाग का प्रभारी बनाकर बिहार के विकास में योगदान देने का मौका दिया ।

मैंने कुछ विकसित और विकासशील देशों के अर्थव्यवस्थाओं के प्रगति के मानकों का अध्ययन किया । उनके विकास में एक समान पैटर्न नजर आया ।

इन सभी देशों की सड़कों/आधारभूत ढांचे में व्यापक कार्य योजना बड़े पैमाने पर निवेश का प्रमाण मिला ।

अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक का प्रमाणिक दस्तावेज यह कहता है कि every 10% increase in road density leads to 5 to 6% reduction in poverty.

बाबा साहब अंबेडकर सड़कों को देश की अर्थव्यवस्था के विकास की धमनियां कहा करते थे ।

हमारे राज्य में 90 के दशक के पूर्व एवं 2005 के पूर्व की दशा क्या थी ? मुझे मौर्य वंश के पूर्व नंद वंश के बलशाली शासक, जिनके डर से सिकंदर की सेना को वापस जाना पड़ा था, के संबंध में यह श्लोक याद आ गया है ।

यः त्यजेत् सततं न्यायं,

यश्य कृत्वा न बुध्यते ।

स कालस्य वंश गत्वा,

ह्यवशः श्रीण कीर्तिकः ॥

He who abandons justice and does not realize faults shall eventually fall under the grip of time, losing his glory and power.

बिहार भाग्यशाली है कि चंद्रगुप्त मौर्य की तरह परिस्थितियों को अनुकूल बनाने हेतु सुशासन के रथ पर, न्याय के साथ विकास की लगाम थामे और सात निश्चयों के घोड़ों को बिहार के समावेशी एवं चतुर्दिक विकास के संकल्प के साथ, बिहार के पुनर्निर्माण हेतु बिहारवासियों ने एक कालजयी व्यक्तित्व वाले युगपुरुष श्री नीतीश कुमार जी को सत्ता की बागडोर सौंप दी ।

महोदय, हमारे विपक्ष के दोस्तों की ट्रेजडी ये है कि उन्होंने खुद तो कभी कोई अच्छा काम किया नहीं और हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो या तो उन्हें नजर नहीं आता या फिर जानबूझ कर उन्हें नजरअंदाज करते हैं और बेबुनियाद इल्जाम लगा के आवाम में गुमराही फैलाना चाहते हैं । हालांकि ऐसा करके वो खुद अपना खून-ए-दिल जला रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं—

मुझ पे इल्जाम लगाते हो लगाते जाओ

खून-ए-दिल अपना जलाते हो जलाते जाओ

और अपने नेता के लिए हम ये चार पंक्तियां कह कर आगे बढ़ना चाहते हैं कि :-

वसुधा का नेता कौन हुआ ?

भूखंड विजेता कौन हुआ ?

अतुलित यश क्रेता कौन हुआ ?

जिसने न कभी आराम किया

विघ्नों में रहकर नाम किया ।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रस्ताव सदन में पेश किया है, हम सदन से आग्रह करते हैं कि सर्वसम्मति से बिहार के विकास के लिए, ग्रामीण सड़कों के, पथों के आनेवाले आर्थिक, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो प्रस्ताव हमने दिया है उसको सर्वसम्मति से पास करने की कृपा की जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अपना भाषण ले कर दीजिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : हम अपने भाषण को ले करते हैं ।

(माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग का लिखित भाषण—परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

(व्यवधान जारी)

वेल में कही गई कोई बात न सुनी जायेगी, न लिखी जायेगी । अपने स्थान पर जाइये, अपने स्थान पर बैठिए ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 11101,64,97,000/— (ग्यारह हजार एक सौ एक करोड़ चौसठ लाख संतानवे हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांगें गिलोटिन के माध्यम से ली जायेंगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए :-

- मांग संख्या-01 : कृषि विभाग के संबंध में 3528,22,41,000 / - (तीन हजार पाँच सौ अठाईस करोड़ बाईस लाख इकतालीस हजार) रुपये
- मांग संख्या-02 : पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 1781,47,90,000 / - (एक हजार सात सौ इक्कासी करोड़ सैंतालीस लाख नब्बे हजार) रुपये
- मांग संख्या-03 : भवन निर्माण विभाग के संबंध में 6894,67,56,000 / - (छः हजार आठ सौ चौरानवे करोड़ सड़सठ लाख छप्पन हजार) रुपये
- मांग संख्या-04 : मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 548,87,90,000 / - (पाँच सौ अड़तालीस करोड़ सतासी लाख नब्बे हजार) रुपये
- मांग संख्या-06 : निर्वाचन विभाग के संबंध में 1189,43,76,000 / - (एक हजार एक सौ नवासी करोड़ तैंतालीस लाख छिहत्तर हजार) रुपये
- मांग संख्या-07 : निगरानी विभाग के संबंध में 48,67,23,000 / - (अड़तालीस करोड़ सड़सठ लाख तेईस हजार) रुपये
- मांग संख्या-08 : कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 277,18,68,000 / - (दो सौ सतहत्तर करोड़ अठारह लाख अड़सठ हजार) रुपये
- मांग संख्या-11 : पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के संबंध में 1787,98,21,000 / - (एक हजार सात सौ सत्तासी करोड़ अठानवे लाख इक्कीस हजार) रुपये
- मांग संख्या-12 : वित्त विभाग के संबंध में 1646,35,01,000 / - (एक हजार छः सौ छियालीस करोड़ पैतीस लाख एक हजार) रुपये
- मांग संख्या-15 : पेंशन के संबंध में 33368,29,19,000 / - (तैंतीस हजार तीन सौ अड़सठ करोड़ उनतीस लाख उन्नीस हजार) रुपये
- मांग संख्या-16 : पंचायती राज विभाग के संबंध में 11302,51,68,000 / - (ग्यारह हजार तीन सौ दो करोड़ इक्कावन लाख अड़सठ हजार) रुपये

- मांग संख्या-17 : वाणिज्य कर विभाग के संबंध में 277,74,25,000/- (दो सौ सतहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख पच्चीस हजार) रुपये
- मांग संख्या-18 : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 1317,07,07,000/- (एक हजार तीन सौ सत्रह करोड़ सात लाख सात हजार) रुपये
- मांग संख्या-19 : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 906,88,82,000/- (नौ सौ छः करोड़ अठासी लाख बयासी हजार) रुपये
- मांग संख्या-21 : शिक्षा विभाग के संबंध में 60964,87,41,000/- (साठ हजार नौ सौ चौसठ करोड़ सत्तासी लाख इकतालीस हजार) रुपये
- मांग संख्या-22 : गृह विभाग के संबंध में 17831,20,52,000/- (सत्रह हजार आठ सौ इक्तीस करोड़ बीस लाख बावन हजार) रुपये
- मांग संख्या-23 : उद्योग विभाग के संबंध में 1966,26,04,000/- (एक हजार नौ सौ छियासठ करोड़ छब्बीस लाख चार हजार) रुपये
- मांग संख्या-24 : सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंध में 283,52,01,000/- (दो सौ तेरासी करोड़ बावन लाख एक हजार) रुपये
- मांग संख्या-25 : सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 289,02,93,000/- (दो सौ नवासी करोड़ दो लाख तिरानवे हजार) रुपये
- मांग संख्या-26 : श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 1231,28,47,000/- (एक हजार दो सौ इक्तीस करोड़ अट्ठाइस लाख सैंतालीस हजार) रुपये
- मांग संख्या-27 : विधि विभाग के संबंध में 1681,71,85,000/- (एक हजार छः सौ इक्यासी करोड़ ईकहत्तर लाख पचासी हजार) रुपये
- मांग संख्या-29 : खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 77,46,07,000/- (सतहत्तर करोड़ छियालीस लाख सात हजार) रुपये
- मांग संख्या-30 : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 870,22,30,000 /- (आठ सौ सत्तर करोड़ बाईस लाख तीस हजार) रुपये
- मांग संख्या-31 : संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 10,71,06,000/- (दस करोड़ इकहत्तर लाख छः हजार) रुपये

- मांग संख्या-32 : विधान मंडल के संबंध में 312,37,81,000 /—(तीन सौ बारह करोड़ सैंतीस लाख इक्कासी हजार) रुपये
- मांग संख्या-33 : सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 1246,22,86,000 /—(एक हजार दो सौ छियालीस करोड़ बाईस लाख छियासी हजार) रुपये
- मांग संख्या-35 : योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 2602,18,06,000 /—(दो हजार छः सौ दो करोड़ अठारह लाख छः हजार) रुपये
- मांग संख्या-36 : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 2702,63,10,000 /—(दो हजार सात सौ दो करोड़ तिरसठ लाख दस हजार) रुपये
- मांग संख्या-38 : मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 692,59,65,000 /—(छः सौ बानवे करोड़ उनसठ लाख पैंसठ हजार) रुपये
- मांग संख्या-39 : आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 9233,95,38,000 /—(नौ हजार दो सौ तैंतीस करोड़ पंचानवे लाख अड़तीस हजार) रुपये
- मांग संख्या-43 : विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 1158,99,99,000 /—(एक हजार एक सौ अंठावन करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) रुपये
- मांग संख्या-44 : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 1935,64,56,000 /—(एक हजार नौ सौ पैंतीस करोड़ चौसठ लाख छप्पन हजार) रुपये
- मांग संख्या-45 : गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 192,36,11,000 /— (एक सौ बानवे करोड़ छत्तीस लाख ग्यारह हजार) रुपये
- मांग संख्या-46 : पर्यटन विभाग के संबंध में 1103,90,82,000 /— (एक हजार एक सौ तीन करोड़ नब्बे लाख बयासी हजार) रुपये
- मांग संख्या-47 : परिवहन विभाग के संबंध में 530,99,48,000 /— (पाँच सौ तीस करोड़ निन्यानवे लाख अड़तालीस हजार) रुपये
- मांग संख्या-48 : नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 11982,25,83,000 /— (ग्यारह हजार नौ सौ बयासी करोड़ पच्चीस लाख तेरासी हजार) रुपये

मांग संख्या-50 : लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 1839,11,36,000/— (एक हजार आठ सौ उनचालीस करोड़ ग्यारह लाख छत्तीस हजार) रुपये

मांग संख्या-51 : समाज कल्याण विभाग के संबंध में 8774,62,72,000/— (आठ हजार सात सौ चौहत्तर करोड़ बासठ लाख बहत्तर हजार) रुपये

मांग संख्या-52 : खेल विभाग के संबंध में 248,39,37,000/— (दो सौ अड़तालीस करोड़ उनचालीस लाख सैंतीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुई ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य भंडार निगम के वित्तीय वर्ष-2019-20 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-21 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-44 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

माननीय सदस्यगण, कल 22 मार्च का दिन हम सभी के लिए गर्व और हर्ष का दिन है । 22 मार्च, 1912 को हमारे बिहार राज्य की स्थापना हुई थी और तभी से यह दिन हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास और प्रगति की ओर बढ़ते कदमों की याद दिलाता है ।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस दिन को चिरस्मरणीय बनाने के लिए पूरे राज्य में इसे राजकीय समारोह के रूप में मनाने की शुरुआत की है ।

बिहार ने ज्ञान, संस्कृति और संघर्ष की अद्वितीय परंपरा स्थापित की है । आज बिहार विकास की नई ऊंचाईयों को छू रहा है । आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है । यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि बिहार अपने गौरवशाली अतीत से सीखते हुए उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहा है ।

मैं इस सदन के माध्यम से आप सभी को और समस्त बिहारवासियों को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं ।

अब सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक-24 मार्च, 2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
बजट भाषण

परिशिष्ट

महोदय,

मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ग्रामीण कार्य विभाग का प्रभारी बनाकर बिहार के विकास में योगदान देने का मौका दिया।

मैंने कुछ विकसित और विकासशील देशों के अर्थव्यवस्थाओं के प्रगति के मानकों का अध्ययन किया। उनके विकास में एक समान पैटर्न नजर आया।

इन सभी देशों के सड़कों/आधारभूत ढांचे में व्यापक कार्य योजना बड़े पैमाने पर निवेश का प्रमाण मिला।

मैंने यह पाया कि अमेरिका ने 19वीं शताब्दी में Rural Electrification एवं Highway system अपनाया।

जर्मनी ने 50 के दशक में Autobahn एवं Rural Connectivity Expansion कार्यक्रम बनाया

दक्षिण कोरिया ने Saemaul undong (New Village Movemant) की शुरुआत की। आज ये सभी देश मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण कर चुके हैं।

हमारे पड़ोसी चीन ने 90 के दशक में National Village Road Programme की शुरुआत की। अभी तक वहाँ 80 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं।

महोदय,

बर्लैंड बैंक का प्रमाणिक दस्तावेज यह कहता है कि every 10% increase in road density leads to 5 to 6 % reduction in poverty.

बाबा साहेब सड़कों को देश के अर्थव्यवस्था के विकास की धमनियाँ कहा करते थे।

हमारे राज्य में नब्बे के दशक एवं 2005 के पूर्व की दशा क्या थी? मुझे मौर्य वंश के पूर्व के नंद वंश के बलशाली शासक, जिसके डर से सिकंदर की सेना को वापस जाना पड़ा था, के संबंध में यह श्लोक याद आ गया।

यः त्यजेत् सततं न्यायं,
यश्च कृत्वा न बुध्यते।
स कालस्य वंश गत्वा,
ह्यवशः क्षीण कीर्तिकः ॥

He who abandons justice and does not realize faults shall eventually fall under the grip of time, losing his glory and power.

अर्थशास्त्र का एक कुशल शासक के संबंध में कहता है कि

“ न राज्यं सुखमावहति न धर्मो न च बन्धवाः ।

यस्यासिम निपत्यग्रे स वै राजा नरेश्वरः ॥

It is not land religion or relatives that bring power, but the sharpness of strategy and the sword - he alone is a true king.

बिहार भाग्यशाली है कि चंद्रगुप्त मौर्य की तरह परिस्थितियों को अनुकूल बनाने हेतु सुशासन के रथ पर, न्याय के साथ विकास की लगाम थामें और सात निश्चयों के घोड़ों को बिहार के समावेशी एवं चतुर्दिक विकास के संकल्प के साथ, बिहार के पुनर्निर्माण हेतु बिहारवासियों ने एक कालजयी व्यक्तित्व वाले युगपुरुष श्री नीतीश कुमार जी को सत्ता की बागडोर सौंप दी।

महोदय,

हमारे विपक्ष के दोस्तों की ट्रेजेडी ये है की उन्होंने खुद तो कभी कोई अच्छा काम किया नहीं, और हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो या तो वो उन्हें नज़र नहीं आता या फिर जान बूझ कर उन्हें नज़रअंदाज़ करते हैं और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के आवाम में गुमराही फैलाना चाहते हैं। हॉलांकि ऐसा करके वो खुद अपना खून-ए-दिल जला रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं —

मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हो लगाते जाओ

खून-ए-दिल अपना जलाते हो जलाते जाओ

और अपने नेता के लिए हम ये चार पंक्तियाँ कह कर आगे बढ़ना चाहते हैं कि:—

वसुधा का नेता कौन हुआ ?

भूखंड विजेता कौन हुआ ?

अतुलित यश क्रेता कौन हुआ ?

जिसने न कभी आराम किया

विधियों में रहकर नाम किया ।।

महोदय, माननीय नेता ने बिहार की आवाम के लिए बिना थमों लगातार काम किया है और कर रहे हैं।

ये बात उन्हें भी मालूम है और बिहार की पूरी आवाम भी जानती है की श्री नीतीश कुमार ने अपने अजीम कारनामों से अपनी तरक्कियाती काम

से जो चिराग रौशन किया है उसकी रौशनी पूरे बिहार में फैली हुई है। और लाख ये लोग कोशिश कर लें उसकी रौशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। शहर में उजाले हो, एक चिराग काफी है
सौ चिराग जलते हैं, एक चिराग जलाने से महोदय,

हम अपनी सरकार के विरोधियों की चाल, चेहरा और चरित्र के बारे में क्या कहें। भले ही वो रौशनी की बातें करते रहें, लेकिन दुनिया जानती है कि उनकी दोस्ती अंधेरे से है।

सच्चाई ये है की खुद उनकी अपनी नियत में खोट है, और वो अपनी गलतियों को दूसरों के सर पर डाल के बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उनकी खिदमत में यही अर्ज किया जा सकता है कि —

उत्फुल्ल बदल गयी, कभी नियत बदल गयी
खुदगर्ज जब हुए, तो फिर सीरत बदल गयी
अपना कसूर दूसरों के सर पर डाल कर
कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गयी

यह भी अजीब तरह की मानसिकता है कि जब हम उनके साथ रहें तो इस शर्त के साथ रहें कि वह अपने आचरण के मुताबिक जो कुछ भी करते रहें, हम चुपचाप उसका समर्थन करते रहें। जब तंग आकर उनका साथ छोड़ देते हैं तो फिर हाथ पांव पटकने लगते हैं। एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार ऐसा हो चुका है। लेकिन अब यह तय हो चुका है कि तीसरी बार यह गलती नहीं होगी:—

सिर्फ एक बार परख कर नहीं छोड़ा तुमको
तुम मेरी जान बहुत बार मुनाफ़िक निकले

हकीकत कभी बदलने वाली नहीं है, हकीकत ये है की हमारे नेता श्री नीतीश कुमार ने अपने कामों से जो एक लंबी लकीर खींची है और बिहार

के आवाम के दिलों में उतर के जो जगह बनायी है वहां तक पहुँचना तो दूर की बात है, वहां तक पहुँचने की बात भी सोचना बहुत मुश्किल है अभी

नज़र नज़र से गुजरना कमाल होता है
हर एक दिल में उतरना कमाल होता है
बुलंदियों पर पहुँचना अलग है बात मगर
बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है
महोदय,

2005 के पूर्व ग्रामीण संपर्कता की स्थिति अत्यंत भयावह थी। तत्कालीन सरकार के द्वारा ग्रामीण संपर्कता के लिए कोई भी सुविचारित योजना नहीं चलाई जा रही थी जिसके कारण बिहार आर्थिक पिछड़ेपन से जूझने के लिए विवश था। विधि व्यवस्था एवं प्रशासनिक मशीनरी की पहुंच भी अत्यंत सीमित हो जाती थी। उस दौर में बिहार सामाजिक ठहराव एवं मनोवैज्ञानिक हीनता बोध का गवाह बना। REO की प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षमता इतनी कम थी कि जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू हुई तो REO उसे लागू करने में पूर्णतः अक्षम था। परिणामस्वरूप शुरूआती दौर में बिहार में PMGSY का क्रियान्वयन केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा किया गया। स्पष्ट था कि स्थिति और ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी और पथ निर्माण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आवश्यक हो गए थे।

बाबा साहेब अम्बेदकर मानते थे कि अगर गाँवों तक सड़कें नहीं पहुँचेगी, तो वहाँ समृद्धि भी नहीं पहुँचेगी एवं साथ यह भी कि औद्योगीकरण एवं आधुनिकता के बिना एक समतामूलक समाज की कल्पना संभव नहीं है। हमारे माननीय नेता ने बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए चहुंमुखी ग्रामीण विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए ग्रामीण

संपर्कता के लिए समर्पित ग्रामीण कार्य विभाग का गठन का निर्णय लिया। ग्रामीण कार्य विभाग के गठन के बाद ग्रामीण संपर्कता के कार्य में आशातीत प्रगति हुई। जहां 2005 में ग्रामीण पथ की लम्बाई 8000 किलोमीटर से भी कम थी, वह आज बढ़कर 1,17,000 किलोमीटर से भी अधिक हो गई है। ग्रामीण संपर्कता के विकास के दौरान पुल-पुलियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया जिससे निर्बाध संपर्कता सुनिश्चित हो सके।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए इन क्षेत्रों में उन्नत कोटि की बारहमासी सड़कों का निर्माण होना प्रमुख है। इसके लिए राज्य के सभी अनजुड़े टोलों/बसावटों/ग्रामों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नये पथों के निर्माण के साथ-साथ पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढीकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य सरकार कृत-संकल्पित है।

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा माह फरवरी 2025 तक पूर्णतया अपने संसाधनों से राज्य योजनाओं द्वारा लगभग 36612.16 करोड़ (छत्तीस हजार छः सौ बारह करोड़ सोलह लाख) रुपये व्यय कर 64345 किलोमीटर (चाँसठ हजार तीन सौ पैंतालीस किलोमीटर) पथों एवं 946 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 34227.69 करोड़ (चाँतीस हजार दो सौ सत्ताइस करोड़ उन्हत्तर लाख) रुपये व्यय कर 53,568 किलोमीटर (तिरपन हजार पाँच सौ अडसठ किलोमीटर) ग्रामीण सड़कों एवं 1387 पुलों का निर्माण पूरा किया गया है। इस प्रकार राज्य में कुल 1,17,913 किलोमीटर (एक लाख सतरह हजार नौ सौ तेरह किलोमीटर) ग्रामीण सड़कों का निर्माण/पुनर्निर्माण पूरा किया गया है। इसके साथ ही 17346.37 करोड़ (सत्तरह हजार तीन सौ छियालीस करोड़ सैंतीस लाख) रुपये की लागत से 48618 किलोमीटर (अड़तालीस हजार छह सौ अठारह किलोमीटर) ग्रामीण पथों की नवीनीकरण एवं नियमित पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य कराया गया है।

सम्प्रति राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत 7518 किलोमीटर (सात हजार पाँच सौ अठारह किलोमीटर) सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना तथा ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण/त्रुटि निवारण अवधि से बाहर हुए कुल 31031 किलोमीटर (इकतीस हजार इकतीस किलोमीटर) लंबाई के ग्रामीण पथों की स्वीकृति के उपरांत नवीनीकरण/ उन्नयन/ पुनर्निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

महोदय,

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, " If Village perishes, India will perish too. To serve our villages is to establish Swaraj. Everything else is but an ideal dream." माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग बापू के सपनों को साकार करने के लिए तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। बापू का कहना था कि जबतक विकेंद्रीकृत स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामोद्योग एवं ग्रामीण क्षमता का संबर्धन नहीं होता है तबतक विकास की बात बेमानी ही रहेगी। जब हमारे दूरदर्शी नेतृत्व ने यह महसूस किया कि केवल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से राज्य के हर गांव एवं टोलों को बारहमासी संपर्कता उपलब्ध कराना संभव नहीं है तो राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना आदि के माध्यम से राज्य के 100 की आबादी तक वाले टोलों के मुख्य संपर्क पथ से जोड़ना सुनिश्चित किया।

महात्मा गाँधी का कहना था कि – If we want to give true swaraj to India we must develop essential facilities in villages. A good road connects villages to cities and opens the doors of opportunities.

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी आर्थिक असमानता को बढ़ाती है। हमें गाँवों तक शिक्षा स्वास्थ्य और परिवहन सुविधाएँ पहुँचाने की आवश्यकता है।

गाँधी जी और बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर जी का स्पष्ट रूप से मानना था कि भारत का विकास तभी संभव है जब गाँवों तक सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे की सुविधाएँ पहुँचे। दोनों ग्रामीण सड़कों को समृद्धि, समानता और आत्मनिर्भरता की कुँजी मानते थे।

इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सम्पर्कता हेतु छुटे हुए महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी पुल/पथ/पहुँच पथ का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य कराने हेतु नौ वर्षों के बाद पुनः सितंबर 2024 में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना' शुभारंभ किया गया। इस योजना अंतर्गत पूर्व से निर्मित कई जर्जर पुल की जगह नए पुल का निर्माण, पूर्व से निर्मित पथ में Missing Bridge का निर्माण, बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल की जगह नये पुल का निर्माण, निर्मित पुलों के पहुँच पथ का निर्माण, अद्यतन असम्पर्कित अवशेष टोलों/बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पुल-पुलियों का निर्माण, “जनता के दरबार में मुख्यमंत्री” कार्यक्रम से अच्छादित योजना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक सभा में की गयी घोषणा से संबंधित पथों/पुलों का निर्माण किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सभी जिलों से प्राप्त जिला संचालन समिति से अनुशंसित सूची के आधार पर 3000 करोड़ के लागत से लगभग 700 पुलों

के प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक इस योजना अंतर्गत कुल 14 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति (कुल राशि 117.64 करोड़ रुपये) प्रदान की गई है।

ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना:— विभाग द्वारा उपग्रह मानचित्र के विश्लेषण एवं स्थानीय सूचनाओं के आधार पर अनजुड़े टोलों/बसावटों की पहचान कर बसावटों का भौतिक सत्यापन तथा सर्वेक्षण कर अनजुड़े बसावटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से चरणबद्ध रूप में एकल सम्पर्कता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के “सात निश्चय” के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में “ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना” प्रारंभ की गयी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के 100 से 249 तक की आबादी वाले अनजुड़े सर्वेक्षित टोलों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से चरणबद्ध रूप में एकल सम्पर्कता प्रदान करना है। इस योजना अंतर्गत राज्य के कुल लक्षित 4643 बसावटों/टोलों को सम्पर्कता प्रदान करते हुए 3977.30 कि०मी० सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के पश्चात् पथों के नियमित एवं व्यवस्थित सुधार, मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु ‘बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 (Bihar Rural Roads Maintenance Policy-2018) लागू की गई है। जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा माह फरवरी 2025 तक 18943.76 करोड़ (अठारह हजार नौ सौ तैंतालीस करोड़ छिहत्तर लाख) रुपये लागत की 16154 पथों जिसकी लंबाई 40236 किलोमीटर (चालीस हजार दो सौ छत्तीस किलोमीटर) की मरम्मत, सुधार एवं नवीकरण के साथ पंचवर्षीय रखरखाव की स्वीकृति दी गयी है। इसके विरुद्ध अबतक 13830 पथों जिसकी लंबाई 34480 किलोमीटर (चौत्तीस हजार चार सौ अस्सी किलोमीटर) है, का मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य कराया गया है। शेष मरम्मत कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

इससे पहले कि हम इस सदन में 2024-25 की योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक स्थिति पर चर्चा आगे करें दो पंक्तियाँ उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो माननीय नेता के कार्यों पर, उनके विजन पर केवल सवाल जवाब करते हैं:-

लहजे में बदजुबानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं

जिनके खुद के खाते बिगड़े हैं वो भी हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2024-25 की योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अन्य राज्य योजना सहित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 3946.41 करोड़ (तीन हजार नौ सौ छियालीस करोड़ एकतालीस लाख) रुपये का बजटीय उपबंध प्राप्त हुआ है। अबतक कुल 2147.35 करोड़ (दो हजार एक सौ सैतालीस करोड़ पैतीस लाख) रुपये व्यय करते हुए 1766 कि०मी० (एक हजार सात सौ छियासठ किलोमीटर) पथ एवं 161 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। शेष राशि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक व्यय कर लिया जायेगा।

ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना — इस योजना के तहत अबतक कुल लक्षित 4643 (चार हजार छः सौ तैतालीस) बसावटों/टोलों को सम्पर्कता प्रदान करते हुए 3977.30 कि०मी० सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :- इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 1728.54 करोड़ (एक हजार सात सौ अठाईस करोड़ चौवन लाख) व्यय कर 1262 कि०मी० पथ एवं 62 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम:- इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 2600 करोड़ (दो हजार छः सौ करोड़) रुपये का बजटीय उपबंध प्राप्त हुआ है। इसके विरुद्ध अब तक 2384.18 करोड़ (दो हजार तीन सौ चौरासी करोड़ अठारह लाख) रुपये व्यय करते हुए कुल लक्षित 10,000 कि०मी० ग्रामीण पथों का नवीनीकरण कार्य किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक कुल 2835 पथों जिनकी कुल लम्बाई 5193 किलोमीटर है, का नवीनीकरण एवं अनुरक्षण कार्य कराया गया है, शेष नवीनीकरण कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना:- इस योजना के अन्तर्गत 754 पथों जिनकी कुल लम्बाई 2844 किलोमीटर है, का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अबतक 109 पथों जिनकी कुल लम्बाई 1107 किलोमीटर है, का उन्नयन कार्य किया गया है तथा शेष पथों का उन्नयन कार्य कराया जा रहा है।

ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम:- इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक-31.03.2024 तक पंचवर्षीय रूटिन अनुरक्षण / Defect Labality अवधि से बाहर सभी 13452 ग्रामीण पथों जिसकी लम्बाई 23541.80 किलोमीटर प्रशासनिक स्वीकृति (कुल राशि 20626.59 बीस हजार छः सौ छब्बीस करोड़ उनसठ लाख रुपये) प्रदान कि गई है। उक्त सभी पथों को जून 2025 तक Potless किए जाने का लक्ष्य है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही इसे Surface Layer तक का कार्य पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोक सेवाओं एवं शिकायत निवारण को कानूनी जामा पहनाकर एवं जनता के दरवार एवं यात्राओं में बिहार वासियों

से सीधा संवाद स्थापित कर शासन में जन भागीदारी और **Feedback** को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।

ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत **Hamara Bihar Hamari Sadak (HBHS)** योजना लायी गयी जिसके अंतर्गत पंचवर्षीय अनुरक्षणाधीन ग्रामीण पथों/पुलों के अनुरक्षण के संबंध में आमजनों से शिकायत प्राप्त करने एवं इसका समाधान हेतु विभाग के द्वारा HBHS Mobile App विकसित किया गया है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा स्थानीय स्तर पर ग्रामीण सड़कों/पुलों का चयन कर अद्यतन भौतिक स्थिति, यथा गड्ढों या अन्य समस्याओं की संक्षिप्त विवरण एवं जहाँ पथ खराब है उस स्थान का फोटोग्राफ **APP** के माध्यम से अपलोड कर शिकायत दर्ज किया जाता है। उस शिकायत को संबंधित प्रमण्डल द्वारा ठीक कराने के उपरांत पुनः उस स्थल का फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन अपलोड किया जाता है। जिसे शिकायतकर्ता द्वारा अपने लॉग इन आईडी0 पर देखा जाता है। इस नई तकनीक के आरंभ से अभी तक की कालावधि में पंचवर्षीय अनुरक्षणाधीन ग्रामीण पथों/पुलों की अनुरक्षण के संबंध में आमजनों से अबतक कुल प्राप्त 853 शिकायतों में से 521 शिकायत का निवारण कर दिया गया है एवं शेष शिकायतों को सीमित समय सीमा के अंदर निवारण करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न राज्य योजनाओं द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता निर्धारित मानक विशिष्टियों के अनुसार बनाए रखने के लिए त्रिस्तरीय निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है। जिसमें त्रिस्तरीय गुणवत्ता निरीक्षण का कार्य क्रमबद्ध रूप से क्षेत्रीय अभियंताओं एवं स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा किया जा रहा है।

Bihar Rural Road Routine Maintenance System (BRRMS):- राज्य योजना अन्तर्गत निर्मित पंचवर्षीय अनुरक्षणाधीन पथों

के निरीक्षण हेतु विभाग के द्वारा BRRMS Mobile App विकसित किया गया है जिसके माध्यम से पथ के लम्बाई 2.00 कि०मी० तक होने पर 200 मी० तथा 2.00 कि०मी० से ज्यादा लम्बाई वाले पथों में 500 मी० पर Random Chainage पर पथों का निरीक्षण किया जा रहा है जिसमें निरीक्षण के क्रम में पथ आरेखन के विभिन्न अवयवों का Geo tagged फोटोग्राफ अपलोड किया जा रहा है, जिसके आधार पर पथों में नियमित अनुरक्षण किया जा रहा है। इस नये तकनीक के आरंभ से अभी तक की कालावधि में पंचवर्षीय अनुरक्षणाधीन पथों के 92893 (बानबे हजार आठ सौ तिरानबे) निरीक्षण किये जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त विभाग निरंतर पथों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने के दिशा में अग्रसर है। जिसमें मानव हस्ताक्षेप के बिना 2D, 3D एवं LiDAR युक्त उपकरणों के सहायता से पथों का निरीक्षण सुनिश्चित कराये जाने के योजना तैयार की जा रही है। जिसका अनुश्रवण मुख्यालय स्तर से करने हेतु Control & Command Center की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है।

महोदय,

बिहार में ग्रामीण सड़क निर्माण की एक नई परिभाषा बन रही है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण में नई तकनीकों का उपयोग को अपनाया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु स्थानीय सामग्रियों के उपयोग पर अधिक बल दिया गया है। स्थानीय सामग्रियों का प्रसंस्करण बेहतर विकल्प के तहत कचरों से अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रसंस्करण कर 6 से 8 प्रतिशत अलकतरा बचाते हुए उपयोग किया जा रहा है जिससे बेहतर एवं टिकाऊ सड़कों का निर्माण किया जा सकेगा। राज्य में जीविका ग्रुपों के माध्यम से वर्तमान में 27 जिलों के विभिन्न प्रखंडों में Shredded Waste Plastic इकाईयाँ स्थापित हो चुकी हैं जिनका उपयोग कर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। नई सड़कों के निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक रीसाइकलिंग का उपयोग

करके, सड़कों का निर्माण एवं पर्यावरण का बचाव एक साथ किया जा रहा है। जीविका दीदियों द्वारा इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से न केवल सड़क बनाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि सड़कों की गुणवत्ता श्रेष्ठ हो। इसके साथ ही विभाग द्वारा ग्रामीण पथों के मार्ग आरेखन में भूमि की उपलब्धता के अनुरूप पौधारोपण कराया जा रहा है और इससे कार्बन के उत्सर्जन में कमी आयी है।

अच्छे कार्यों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग को निम्नांकित पुरस्कार प्राप्त हुए :-

- (i) वर्ष 2016-17 में विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूरे भारत में सर्वाधिक 6,601 कि०मी० सड़कों का निर्माण करने एवं 4,173 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने पर भारत सरकार द्वारा विभाग को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
 - (ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को वर्ष 2017-18 में 3,418 बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए प्रथम तथा 5,227 कि०मी० लंबाई के पथों का निर्माण करने के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
 - (iii) वर्ष 2018-19 में अभिनव तकनीक से कार्य करने के लिए देश भर में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- विभाग में वर्ष 2023-24 में 10,137.03 करोड़ (दस हजार एक सौ सैतीस करोड़ तीन लाख) की लागत से 15,354.70 कि०मी० पथों का निर्माण किया गया। यह कार्य करने की रफ्तार हर साल बढ़ती जा रही है।
 - पहली बार वर्ष 2007 में एक स्वतंत्र विभाग ग्रामीण कार्य विभाग का गठन किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यों एवं दायित्वों को ससमय गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप निष्पादन हेतु वर्ष 2012 एवं 2024 में सशक्त एवं संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ करने हेतु पुर्नगठित किया गया। सभी स्तर के पदाधिकारियों को नियमित रूप से प्रोन्नति दी जा रही है ताकि कार्यों का ससमय सफल निष्पादन किया जा सके।

माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में ग्रामीण कार्य विभाग परिकल्पनाओं को साकार करने हेतु निरन्तर अग्रसर है।

महोदय,

हमारे नेता ने सरकारी नौकरी और रोजगार के सृजन में अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

विभाग के द्वारा भी कुल 707 कनीय अभियंता (असैनिक) को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए वर्तमान में इन्हें विभिन्न कार्य प्रशाखा में पदस्थापित कर दिया गया है। इनके कार्यरत होने से विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में गति आयेगी तथा ग्रामीण सड़कों का बेहतर निर्माण एवं देख-रेख संभव हो पायेगा।

जॉन एफ केनेडी ने अमेरिका के संदर्भ में कहा था,

" It is not America that made roads. It is roads that made America."

बिहार के संदर्भ में कुल रोड का 83 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बनाया गया है जिसके अत्यंत सकारात्मक परिणाम हुए हैं।

निर्बाध ग्रामीण संपर्कता सुनिश्चित होने से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।

गांव और शहर की बीच वस्तुओं और सेवाओं का movement सहज हो गया है।

गांव के निवासियों को बाजार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तक सहज पहुंच सुनिश्चित हुई है।

ग्रामीण संपर्कता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून का शासन स्थापित करने में सहूलियत हुई है।

एवं Rural-urban continuum के लाभों को सुनिश्चित करने में ग्रामीण संपर्कता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

हमारे माननीय नेता के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग के दो दर्शकों का सफर प्रतिकूल चुनौतियों के संदर्भ में महत्वकांक्षी संभावनाओं को फलीभूत करने का रहा है।

न्याय के साथ विकास की अवधारणा का दूसरा पहलू यह है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि यह समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक विकास की रोशनी पहुँचाए एवं यह तभी संभव है जब गाँवों को मुख्य धारा से जोड़ा जाय।

एक विभाग की प्रगति यात्रा में 20 वर्षों का सफर एक छोटी सी अवधि परन्तु ग्रामीण कार्य विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में दो दशकों में सदियों का सफर तय किया है।

यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री के संबंध महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होती हैं:

“वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या
जिस पथ पर बिखरे शूल न हों,
नाविक की धैर्य परीक्षा क्या
जब धाराएं प्रतिकूल न हो।”

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2025-26 जिसका समापन 31.03.2026 को होना है, विभाग की योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु 11101.6497 करोड़ रुपये (ग्यारह हजार एक सौ एक करोड़ चौसठ लाख सन्तानवें हजार) रुपये मात्र की योजना (परिशिष्ट— 'क', एवं 'ख' संलग्न) का सदन के समक्ष प्रस्ताव रखता हूँ, तथा माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इसकी अनुमति प्रदान करें।

परिशिष्ट 'क'

गंग संख्या-37
ग्रामीण कार्य विभाग

क्रम सं०	योजना का नाम	2025-26 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1	मुआवजा एवं अदायगी (Compensation)	3000.00000
2	बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (BRRDA)	4000.00000
3	पीएमजीएसवाई (केन्द्रांश)	150000.00000
4	पीएमजीएसवाई (राज्यांश)	37500.00000
5	ग्राम विकास की परियोजनाएँ (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	99100.00000
6	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (MMGSY)	9500.00000
7	ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना	10000.00000
8	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना)	132046.00000
9	जनजातीय क्षेत्र उप योजना (मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना)	500.00000
10	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एनडीडीबी ब्रिक्स बैंक सम्पोषित)	60000.00000
11	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना	199841.00000
12	जनजातीय क्षेत्र उप योजना (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना)	5926.00000
13	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष)	50000.00000
14	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष)	35000.00000
15	मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना	60000.00000
16	जन जातियों क्षेत्र उप योजना (मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष))	5000.00000
17	अतिरिक्त सम्पर्कता (सुलभ संपर्कता निश्चय-2)	17500.00000
	कुल	878913.00000

परिशिष्ट 'ख'
स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय

क्रम सं०	शीर्ष/उप शीर्ष	2025-26 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1	2515 - वेतनादि (अभियंत्रण स्थापना)	29186.13000
2	3054-सड़क तथा सेतु रख-रखाव	200000.00000
3	3451 वेतनादि (सचिवालय सेवाएँ)	2065.84000
	कुल	231251.97000

कुल (राज्य स्कीम + स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय) = (878913.00000+231251.97000)

= 1110164.97000 लाख रुपये मात्र।

= 11101.6497 करोड़ रुपये मात्र।

(ग्यारह हजार एक सौ एक करोड़ चौसठ लाख सन्तानवें हजार) रुपये मात्र

